न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 129/2019 दायरा दिनांक : 02.09.2019

उनवान

1– लीला पुत्री चन्दे पत्नी सीताराम, जाति सहरिया, निवासी खुशालपुरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– बाला पुत्री चन्दे पत्नी प्रहलाद, जाति सहरिया, निवासी खुशालपुरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– सूरतनिया पुत्री भूरा पत्नी बद्री, जाति सहरिया, निवासी खुशालपुरा, हाल बीलखेड़ा डांग, तहसील शाहबाद, जिला बारां मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

1/1– कल्ला पुत्र बद्री, आयु 48 वर्ष, जाति सहरिया, निवासी खुशालपुरा, हाल बीलखेड़ा डांग, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/2– रामबती पुत्री बद्री, आयु 54 वर्ष, जाति सहरिया, निवासी खुशालपुरा, हाल बीलखेड़ा डांग, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/3– रामनाथी पुत्री बद्री, आयु 52 वर्ष, जाति सहरिया, निवासी खुशालपुरा, हाल बीलखेड़ा डांग, तहसील शाहबाद, जिला बारां

1/4– दानों पुत्री बद्री, आयु 45 वर्ष, जाति सहरिया, निवासी खुशालपुरा, हाल बीलखेड़ा डांग, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– सोनों पुत्री भूरा, आयु 65 वर्ष, जाति सहरिया, निवासी शुभधरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री आलोक गोयल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 24.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 24/2016 निर्णय दिनांक 11.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करने में त्रुटि की है जबकि विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता । ग्राम बिरमानी पटवार क्षेत्र शाहबाद की आराजी खसरा नम्बर 216/284 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा पूर्व में चंदे पुत्र पन्नू, जाति सहरिया के खातेदारी में थी जो उनके स्वर्गवास के बाद विधि सम्मत रूप से नामान्तकरण संख्या 235 दिनांक 30.06.2016 से मृतक चंदे के स्थान पर अपीलांटगण को खातेदार घोषित किया गया जो विधि सम्मत है तथा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार भूरा था जिसका देहान्त 50–60 वर्ष पूर्व लाऔलाद हुआ था । भूरा की मृत्यु के उपरान्त फोती नामान्तरकरण उसकी बेवा नब्बों के नाम से दर्ज किया गया । भूरा के सुरतनिया नाम की कोई पुत्री नहीं थी । वादग्रस्त आराजी भूरा की मृत्यु के बाद नब्बो के नाम खुला, नब्बो की मृत्यु के बाद भूरा के भाई के पुत्र चंदे जो अपीलांटगण के पिता हैं उनके नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति की सदस्य हैं जिसमें पुत्रियों को शादी के बाद कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा हमारे खिलाफ जारी किया गया है । जबकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं । वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार के खिलाफ टी. आई. जारी की जो उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में इनका कब्जा प्रमाणित करने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अनुसूचित जनजाति में लड़की को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । जिस नामान्तरकरण से हम खातेदार बने हैं उसको रेस्पोडेंट ने चेलेन्ज नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी का खातेदार भूरा ला औलाद फौत हुआ । भूरा के वारिसान बाबत इन्होंने कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है । पंचायत को वारिसान प्रमाण पत्र बनाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में डी एन जे 2013 पेज 18 पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रिकार्ड व मौके की यथास्थिति हमारे पक्ष में है जो सही है । हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार की पुत्रियां है । अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2019 में प्रथम दृष्टया प्रकरण बाबत यह स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के पिता भूरा के खाते की है । यद्यपि अपीलांट अप्रार्थीगण विवादित आराजी की वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार दर्ज है । परन्तु अपीलांट अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित हो । इसके विपरीत रेस्पोडेंट प्रार्थीगण ने स्वयं को खातेदार भूरा की पुत्रियां होना बताया है और प्रमाणस्वरूप ग्राम पंचायत शुभधरा का वारिस क्रमांक 2019 दिनांक 28.06.2019 ग्राम वासियान खुशालपुरा का पंचनामा तथा इसके अलावा दोज्या हल्के गंगाराम, प्रभू, बीरबल, लक्खू के शपथ पत्र पेश किये हैं । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित होना सिद्ध किया है, जो उचित है । अतः जब प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित होना पाया गया तो सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेंट के पक्ष में ही पायी जाती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

वाद के निस्तारण होने तक ग्राम बिरमानी पटवार हल्का शाहबाद, तहसील शाहबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 216/284 रकबा 9.11 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 223 रकबा 15.01 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 28.18 बीघा की रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है, जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 यथावतरखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा